RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 15 / 2026

प्रार्थी–	बनाम	अप्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा।		श्री राणाराम / चम्पालाल, प्रजापत भाटियों का डेर, सणपा मानजी, सिणधरी तहसील सिणधरी। हाल प्रो. श्रीराम भोजनालय, बालोतरा रोड़, सिणधरी, जिला बालोतरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्रीमती इन्द्रा चारण, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित ।

आदेश

दिनांक : 29.04.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 25.02.2026 को श्री रविन्द्रसिंह प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा, ने मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स श्रीराम भोजनालय, बालोतरा रोड़, सिणधरी, का निरीक्षण पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर अप्रार्थी श्री राणाराम / चम्पालाल उपस्थित मिले। मौके पर 2 घरेलु गैस सिलेण्डर भट्टी से गैर पाईप लाईन से जुड़े पाए गए तथा 3 घरेलु सिलेण्डर दुकान में रखे हुए वक्त जांच पाए गये, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है–

क्र.सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर मे भरी हुई गैस का वजन
1.	Erosed	Indane	25.4	16.4	9.0
2.	285788	Indane	15.7	15.7	0
3.	507875	Indane	16.0	16.0	0
4.	403090 टी	Indane	15.8	15.8	0
5.	Erosed	Indane	27.0	15.7	11.3

2. मौके पर उक्त दुकान मे पाये गये घरेलु गैस सिलेण्डर द्वारा व्यवसायिक दुरूपयोग करने पर उक्त सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को मैसर्स श्री करणी इण्डेन गैस सिणधरी के प्रतिनिधि श्री कानाराम / भीखाराम को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण

जिला कलक्टर
बालोतरा

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया ।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि सिणधरी में बालोतरा जाने वाली सड़क पर अप्रार्थी की दुकान आयी हुई है। दुकान के सामने अप्रार्थी का रहवासीय मकान है, जिसमें अप्रार्थी रहवास करता है व दुकान से जुड़ता हुआ अप्रार्थी का बाड़ा है। अप्रार्थी अनावश्यक सामान व घर में खाली गैस सलेण्डर व भरे हुए गैस सलेण्डर रखने की जगह नहीं होने से सुरक्षा की दृष्टि से अपने बाडे में भरी हुई व खाली गैस टंकिया रखता है। दिनांक 25.02.2026 को अप्रार्थी के परिवार में अप्रार्थी की ताई (बड़ी माताजी) की मृत्यु हो गयी थी, इसलिये अप्रार्थी व अप्रार्थी का पुरा परिवार सणपा गांव में चले गये थे, पिछे से जिला रसद अधिकारी बालोतरा ने आकर विप्रार्थी के कुल 5 सिलेण्डर जब्त कर लिये। रसद अधिकारी ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए अप्रार्थी के 03 खाली गैस सिलेण्डर व 02 भरे हुए गैस सिलेण्डर को सीज कर कानून की भारी भूल की है। दो भरी हुई टंकिया अप्रार्थी द्वारा ताईजी की मृत्यु पर उनके घर में भेजनी थी, इसलिये बाडे में पड़ी थी। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए मेरी सिलेण्डेर वापस दिलाने का आदेश फरमावे।

5. हमने सरकारी पैरोकार एवं अप्रार्थी की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने तथा अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग करने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किये गये है, जो वर्तमान मे गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स श्री करणी इण्डेन गैस सिणधरी के प्रतिनिधि श्री कानाराम/भीखाराम को सुपुर्दगी पर दिये गये है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के (सी) व 7(1) का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि दुकान के पीछे बाड़े में रखे हुए उक्त सिलेण्डर पारिवार वालो के थे, जो अप्रार्थी के बड़े माताजी के देहांत होने पर वहां ले जाने हेतु दुकान के पीछे बाड़े में रखे थे, जिसमें तीन सिलेण्डर

जिला कलक्टर
बालोतरा

खाली थे, जिसको भरने के लिए यहां रखा गया था। उक्त सिलेण्डर जब्त करने से उक्त गैस कनेक्शन धारियों का भारी नुकसान हो रहा है। लिहाजा उसके विरूद्ध की गई उक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जाकर जब्तशुदा सिलेण्डर उसे दिये जाने का आदेश प्रदान करावे। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, जिससे पाया जाता हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के संलग्न मौका जांच रिपोर्ट में 3 सिलेण्डर खाली तथा दो सिलेण्डर भट्टी पर लगा हुआ होना बताया गया। उक्त तीन सिलेण्डर, जो खाली थे, लिहाजा उक्त सिलेण्डर का व्यावसायिक प्रयोग होना सावित नहीं होता है तथा दो घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग करना पाया गया। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) *"द्रवित पेट्रोलियम गैस का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं करेगा, जिसके लिए उपभोक्ता किसी सरकारी तेल कंपनी के वितरक के पास पंजीकृत है"* का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के 2 घरेलु गैस सिलेण्डर(जो व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था) मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर जिला रसद अधिकारी बालोतरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में जब्तशुदा 3 घरेलु गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस को पुनः अप्रार्थी को सुपुर्द करें तथा 2 घरेलु सिलेण्डर जो व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जो अप्रार्थी द्वारा आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) का उल्लंघन मे पाये गये 2 गैस सिलेण्डर राजसात किया जाए। 2 घरेलु गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष मे जमा कराने की कार्यवाही करें। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, बालोतरा को सूचनार्थ एवं पालना हेतु प्रेषित हो।

7. आदेश आज दिनांक 29.04.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

([illegible] कुमार)
जिला कलक्टर
बालोतरा
जिला कलक्टर, बालोतरा